

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-


माँगीलाल पुत्र खुमाजी चौधरी, निवासी-  
फालना गाँव तहसील बाली, जिला पाली  
(राज.)

लोक सूचना अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 37/2021

G.C.M.S. No. -2021/123

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/5/21	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांत को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 21/5/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">A</p>	<p>699-700 31/5/21</p>
21-5-21	<p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>राज्य लोक सूचना अधिकारी के फॉफक सं. लो. सू. अ. 2021 दिनांक 13-5-2021 के अनुसार अपीलकर्ता की सूचना BDO बाली से सम्बन्धित होने से ऊपर उक्त जगह फॉफक <del>दिनांक</del> दिनांक/763 दिनांक 7-12-2020 के द्वारा निजवाफा गया है। प्रार्थी को इस बाबत सूचित किया इस पर भी प्रति रस न्यायालय के उचित की है। जिसकी प्रति अपीलकर्ता के निजवाफे आकर पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">A</p>	<p>817 25/5/21</p>
18/6/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>राज्य लोक सूचना अधिकारी (SDD) बाली द्वारा प्रकर BDO बाली से सम्बन्धित होने से उक्त उचित किया जा चुका है। जिसकी प्रति रस न्यायालय द्वारा भी अपीलकर्ता के उचित की जा चुकी है। यदि प्रकर BDO बाली से सम्बन्धित होने से इसकी अपील भी रस न्यायालय के क्षेत्रीयता से नहीं है। अतः सख वर्तमान में इस प्रकर के किसी प्रकार की कार्यवाही अयोग्य नहीं होने से यह अपील इसी तल या वरक की जारी है।</p> <p>पत्रावली रस न्यायालय से मुफ्त फॉफक की आकर इस न्यायालय से सम्बन्धित कर रहे।</p> <p style="text-align: center;">A</p>	

जिला कलेक्टर, बाली